बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
आदेश

संख्या–नि0को0 पटना–02–198/2017 – (नि0को0)/रा0, पटना–15, दिनांक–..............

निगरानी थाना कांड संख्या–112/2017, दिनांक–08.12.2017, धारा–7/13(2)–सह–पठित धारा/13 (1) (डी) भ्र0नि0अधि0, 1988 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, दुल्हिन बाजार, पटना, जिन्हें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के गठित धावादल द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़े जाने के आरोप में दिनांक–08.12.2017 को न्यायिक हिरासत में लिये जाने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश संख्या–988 (नि0को0) दिनांक–22.12.2017 द्वारा न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक–08.12.2017 के प्रभाव से निलम्बित करते हुए निलम्बन अवधि के लिए इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया गया था। अब श्री कुमार न्यायिक हिरासत से रिहा होकर प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना में दिनांक–09.03.2018 के पूर्वाह्न में योगदान कर चुके हैं।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9 (3) (i) के तहत न्यायिक हिरासत से रिहा होने के उपरान्त योगदान करने की तिथि दिनांक–09.03.2018 के प्रभाव से श्री कुमार की निलम्बन अवधि समाप्त समझी जायेगी।

चूँकि यह मामला रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने से सम्बन्धित है तथा घोर कदाचार की श्रेणी में आता है, जो सरकारी सेवक आचार संहिता के प्रतिकूल है।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9 की कंडिका–1 के उप कंडिका (क), (ग) एवं कंडिका–3 की उप कंडिका–(I), (II) में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री कुमार को योगदान की तिथि–09.03.2018 से पुनः निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में श्री कुमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

निलम्बन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना होगा, जहाँ वे नियमित रूप से उपस्थिति/हाजरी दर्ज करेंगे। उपस्थिति दर्ज करने के आलोक में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार दिया जाएगा।

ह0/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा),
प्रधान सचिव।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक– नि0को0 पटना–02–198/2017 – (नि0को0)/रा0, पटना–15 दिनांक–
प्रतिलिपि :–आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– नि0को0 पटना–02–198/2017 – (नि0को0)/रा0, पटना–15 दिनांक–
प्रतिलिपि :–जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, दानापुर, पटना एवं श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, दुल्हिन बाजार, पटना सम्प्रति निलम्बित मुख्यालय–आयुक्त का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना एवं पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– नि0को0 पटना–02–198/2017–388 (नि0को0)/रा0 पटना– 15, दिनांक– 15.5.18
प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/5
(ब्रजेश मेहरोत्रा),
प्रधान सचिव।

D:\ritesh\Nigrani\2018\office order\Rakesh k. Dulhin bazaar (Re suspension).doc